

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली
कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री राम अवतार
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10665- बी दिनांक 09/02/2023
अपील कम्प संख्या : 20 दिनांक 21/03/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारियों के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-3, 4 व 8 से ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए है तथा जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 1, 4, 10 व 13 के द्वारा प्रश्न संख्या- 1 में प्रदान किए ज्ञापन संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-2 के द्वारा प्रश्न संख्या-10 की जानकारी नहीं दी गई है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 3, 4 व 8 द्वारा समयानुसार ज्ञापन प्रदान किया गया है।

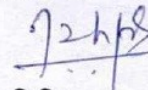
प्रश्न संख्या-1 में अपीलकर्ता के द्वारा दर्शाए गए बंदियों की पनिसमेंट की जानकारी जिस प्रारूप में मांगी गई है उस प्रारूप में कारागार विभाग द्वारा पनिसमेंट का रिकार्ड नहीं बनाया जाता है यद्यपि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 1, 4, 10 व 13 के द्वारा विभिन्न कारणों से जानकारी को प्रदान न किए जाने के संबंध में सूचित किया गया है। हालांकि, पनिसमेंट की संख्या की जानकारी प्रदान की जा सकती है जिसको प्रदान करने से किसी सुरक्षा की हानि का अंदेशा नहीं है।

प्रश्न संख्या-10 के लिए जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 2 द्वारा प्रदान की गई जानकारी संतोषजनक है।

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 1, 4, 10 व 13 को आदेश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को प्रश्न संख्या- 1 में दर्शाए गए बंदियों की पनिसमेंट की संख्या प्रदान करे। इसके अलावा, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-3, 4 व 8 को पुनः ज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराएं।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार /
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री राम अवतार

F10(3476489)/ID-10665-B/CJ/Legal/2023/21/03/2444-54 Dated: 29.03.2023

आवश्यक सूचना/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-1 से 5, 8, 10, 13, 14 व 15.
2. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-(प्रथम), कारागार मुख्यालय, तिहाड, नई दिल्ली.